राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, चूरू

क्रमांकः- प.आब( )विज्ञप्ति/बंदो/2021/961 दिनांकः- 08/06/2021

विज्ञप्ति

देशी मदिरा, विदेशी मदिरा एवं बीयर की कम्पोजिट रिटेल ऑफ दुकान ग्रा. प.कोहिणा एवं सरायन वर्ष 2021-22 के अनुज्ञापत्र हेतू आवेदन एवं ई-नीलामी आंमत्रण बाबत् सूचना।

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए जिले में आबकारी बंदोबस्त हेतू देशी मदिरा राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) भारत निर्मित विदेशी मदिरा (IMFL) एवं बीयर की रिटेल ऑफ दुकान (कम्पोजिट दुकान) के अनुज्ञापत्र जारी करने के लिए आबकारी नीति 2021-22 के अनुसार भारत सरकार के उपक्रम एम.एस.टी.सी. लिमिटेड के माध्यम से ई-नीलामी (चालु ई-बोली) आयोजित की जा रही है।
2. श्रीमान् वित (आबकारी) उदयपुर के पत्रांक 28 सी (116)रिट/आब/2021/209 दिनांक 04.06.2021 के क्रम में निरस्त समूह को ई-नीलामी(ई-बोली)के लिये स्वीकृति दी है।
3. आबकारी एवं मद्यसंयम नीति 2021-22 में निरस्त समूह देशी मदिरा कम्पोजिट दुकान कोहिणा एवं सरायन के लिए निम्नलिखित प्रकार से अमानत राशि निर्धारित की जाती है।

क्र.स.	श्रेणी	रिजर्व प्राईस	अमानत राशि
1	वर्ष 2021-22 के लिए पचास लाख रूपये से अधिक है एवं दो करोड़ रूपये तक मूल रिजर्व प्राईस	6183600/-	300000/-

4. निरस्त समूह में निम्नलिखित तिथि अनुसार ई-नीलामी(ई-बोली) आमंत्रित की जाती हैः-

क्र.स.	नीलामी दिनांक	आवेदन करने की अंतिम तिथि
1.	11.06.2021	10.06.2021

नीलामी का समय पूर्वानुसार प्रातः 11 बजे से सांय 4 बजे तक रहेगा। नीलामी एक कार्य दिवस में न्युनतम 5 घटें की होगी एवं उसके पश्चात जब तक बोली लगती रहे तब तक 10 मिनट के अन्नत विस्तार (Indefinite Extension) तक जारी रहेगी।

5. सफल बोलीदाता एच-1 के किसी कारण से बैकआउट होने पर द्वितीय उच्चतम बोलीदाता एच-2 को सफल बोलीदाता एच-1 द्वारा प्रस्तावित वार्षिक गारंटी राशि पर उस मदिरा दुकान को लेने हेतू अवसर दिया जायेगा तथा द्वितीय उच्चतम बोलीदाता एच-2 द्वारा सहमति देने पर पूर्व में उल्लेखीत प्रकिया अनुसार राशि जमा कराने पर उसके पक्ष में अस्थाई अनुज्ञापत्र की स्वीकृति जारी की जावेगी।

6. एच–2 द्वारा उपर्युक्त अवसर के बाद सहमति नहीं देने पर उसे उसकी स्वंय द्वारा बोली लगाई गई कीमत एच–2 पर मदिरा दुकान देने का अवसर दिया जावेगा। यदि इस कीमत पर भी एच–2 द्वारा मदिरा दुकान नहीं ली जाती है तो उसकी अमानत राशि जब्त कर एच–3 को क्रमशः एच–1 एवं एच–2 द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित वार्षिक गांरटी राशि पर उस मदिरा दुकान को लेने हेतू अवसर दिया जायेगा।
7. तृतीय उच्चतम बोलीदाता एच–3 द्वारा सहमति देने पर पूर्व में उल्लेखीत प्रकिया अनुसार राशि जमा कराने पर उसके पक्ष में अस्थाई अनुज्ञापत्र/स्वीकृति जारी की जावेगी। एच–3 द्वारा उपर्युक्त अवसर के बाद सहमति नहीं देने पर उसे उसकी स्वंय की द्वारा बोली गई कीमत/राशि एच–3 पर मदिरा दुकान देने का अवसर दिया जायेगा। यदि इस कीमत पर भी एच–3 द्वारा मदिरा दुकान नहीं ली जाती है तो उसकी अमानत राशि नियमानुसार जब्त कर ली जावेगी।
8. उक्त बोली(ई–ऑक्शन) माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर रिट याचिका संख्या 6896/2021 देवीलाल VS राज्य सरकार में दिए निर्णय दिनांक 25/05/2021 के अर्तगत श्रीमान् आबकारी आयुक्त के पत्रांक प. 28 सी (116)रिट/आब/2021/209 दिनांक 04/06/2021 के अंतर्गत जारी आदेशों के अनुक्रम में जारी है। उक्त बोली(ई–ऑक्शन) में राज्य सरकार की ओर से होने वाली अपील (यदि दायर की जाती है तो) के निर्णयाधीन होगा।

उपर्युक्त के संबध में विस्तृत दिशा–निर्देश,शते तथा अनुज्ञापन हेतू उपलब्ध दुकान की निर्धारित सूची में विवरण विभागीय वेबसाइट https://www.rajexcise.gov.in एवं एम.एस.टी.सी. लिमिटेड की वेबसाइट https://www.mstccommerce.com पर उपलब्ध है।

(संजीव पटावरी)
जिला आबकारी अधिकारी
चूरू